न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-320RAAJodhpur2021-159RTA225 Rugharam ors Vs Rewatram etc

01. रुगाराम पुत्र सोनाराम
02. ओमाराम पुत्र धन्नाराम
03. हापू पत्नी धन्नाराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- नेवरा रोड़,
तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. रेवतराम पुत्र पुरखाराम
02. दीपाराम पुत्र पुरखाराम
03. सुखाराम पुत्र पुरखाराम
04. बालाराम पुत्र पुरखाराम
05. देदाराम पुत्र पुरखाराम
06. कबु पुत्री पुरखाराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- नेवरा रोड़,
तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
07. उदाराम पुत्र बगताराम
08. पुरखाराम पुत्र बगताराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- नेवरा रोड़,
तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 17 सितंबर 2021 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 96/2021 रेवतराम व अन्य बनाम रुगाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल ,अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. एक से तीन व पांच

10.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ

नि र्ण य

दिनांक : 18 सितंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 96/2021 अनवान रेवतराम व अन्य बनाम रुघाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 सितंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 सितंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 474 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, खसरा नं. 480 रकबा 0.1052 हैक्टेयर ग्राम नेवरा रोड़ तहसील औसियां के संबंध में बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स अपने उपरोक्त खातेदारी की खसरान् की भूमि के उपयोग-उपभोग करने के पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जो कानूनन पारित नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंट्स

18.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स को उनकी खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य एवं कृषि विकास कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना जवाब प्रस्तुत कर सुनवाई किये जाने का निवेदन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सतंतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 सितंबर 2021 को निरस्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेंट पुरखाराम की मानसिक स्थिति ठीक नही होने का फायदा उठाकर अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी अपने नाम करवा ली। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स को बेदखल करने की धमकिया देने पर उनके द्वारा विचारण न्यायालय में दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित करने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अंत में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

10.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 474 रकबा 10.09 बीघा ग्राम नेवरारोड़ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 24.02.1993 की पालना में भरे गये नामांतरकरण संख्या 100 के जरिये सोनाराम पुत्र बगताराम के नाम से दर्ज की गई है तथा कब्जा खरीददारान् का होना बताया गया है। अद्यतन राजस्व रेकर्ड मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरुद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

चूंकि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना शेष हैं तथा अपीलांट्स द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। लिहाजा मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 सितंबर 2021 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को

10.9.22

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त समय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर